पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भूमि सुधार और सिंचाई

3485. **श्री भारत भूषण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सुधारों तथा सिंचाई के लिए कोई वृहद् योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय तथा नागालैंड आदि उत्तर-पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सामूहिक स्वामित्व में है । इसलिए वहां भूमिसुधार संबंधी कोई कानून नहीं बनाए गए हैं । इसे दृष्टि में रखते हुए उन क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए कोई मास्टर प्लान बनाने का प्रश्न ही नहीं होता । देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सुधार संबंधी सामान्य कानून लागू हैं और वे मैदानी क्षेत्रों की भांति ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इन क्षेत्रों में भूमि सुधार के कार्यान्वयन के लिए पृथक् रूप से कोई मास्टर प्लान बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है । पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है ।

Rehabilitation of Tribals in Gahpur, Assam

3486. SHRI PURNA SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that there are large patches of land inside the forest reserves of Assam in which only wet cultivation may be done and such patches are not fit for growth of forest produce;

(b) whether Government are aware that the State Government in a series of orders decided to settle 3,000 Scheduled Tribe villagers in Gahpur reserve in Darrang district, and even after the poor people got settled down on the land they were mercilessly evicted during the emergency; and

(c) steps Government propose to dereserve those patches of arable land and rehabilitate the distressed tribals on those lands with one acre each family for homesteads?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Assam. It will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

खाण्डसारी मिलों को छूट

3487. **डा० रामजी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे एवं ग्राम उद्योगों को प्रश्रय देना अपनी नीति मानती है ;

(ख) क्या खण्डसारी उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है ;

(ग) क्या चीनी मिलों को तो 80 करोड़ की छूट दी गई है परन्तु खण्डसारी मिलों को कोई छूट नहीं दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार ग्राम उद्योग के विरुद्ध इस भेदभाव को दूर करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।